

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ
फाईलेरिया नियंत्रण, स्वास्थ्य भवन, सुल्तानगंज, पटना-6
अपर निदेशक- सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, फाईलेरिया नियंत्रण बिहार, पटना ।
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 02 - 01 - 20

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य- 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0002-राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210061010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹4,63,51,200/- (चार करोड़ तिरसठ लाख एकावन हजार दो सौ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-16(7)ब दिनांक-12.06.18 एवं 42(7) ब दिनांक-01.10.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹4,63,51,200/- (चार करोड़ तिरसठ लाख एकावन हजार दो सौ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी गैर योजना व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0002-राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड-20-2210061010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आयोजना भिन्न में उपबन्धित राशि से की जायगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ (फाईलेरिया नियंत्रण) बिहार, पटना/ अपर निदेशक- सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, फाईलेरिया नियंत्रण, बिहार, पटना तथा सम्बंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे । इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.20 02 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।


8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
10. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्थापना कर्मियों का वेतन भुगतान प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव




ज्ञापांक : 77(7)A

पटना, दिनांक : 02 - 01 - 19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं प्र0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7 / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव




विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित फाइलेरिया नियंत्रण उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन (06-01)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (11-01)	यात्रा व्यय (13-01)	कार्यालय व्यय (13-06)	वर्दी/पोषाक (21-01)	कुल	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अपर निदेशक, फाइलेरिया	900000	585000	918000	45000	36000	16000	2500000	0	0	0	0	0	2500000	726/29.11.18 794/24.12.18
2	अपर निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, फाइलेरिया	8000000	5200000	8800000	90000	320000	144000	22554000	15000	0	0	0	0	22569000	333/6.12.18 794/24.12.18
3	मधुबनी	2000000	240000	220000	0	80000	36000	2576000	0	10000	10000	0	10000	2606000	180/11.12.18
4	भागलपुर	1500000	180000	165000	0	60000	27000	1932000	0	10000	10000	0	10000	1962000	661/25.10.18
5	बेगुसराय	3000000	300000	330000	0	120000	54000	3804000	0	10000	10000	0	10000	3834000	167/25.10.18
6	मुजफ्फरपुर	3800000	760000	760000	0	304000	114000	5738000	0	10000	10000	0	10000	5768000	180/22.10.18
7	रोहतास	2800000	336000	308000	0	112000	50400	3606400	0	0	0	0	0	3606400	167/6.12.18
8	दरभंगा	2000000	240000	220000	0	80000	36000	2576000	0	0	10000	0	0	2586000	252/6.12.18
9	जहानाबाद	350000	42000	87500	0	14000	6300	499800	0	0	10000	0	0	509800	244/13.12.18
10	बेतिया	190000	22800	47500	0	11400	3300	275000	0	0	0	0	0	275000	84/11.12.18
11	गया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	15000	35000	182/18.12.18
12	नवादा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	10000	50000	100000	122/6.11.18
	कुल	24540000	7905800	11856000	135000	1137400	487000	46061200	15000	40000	120000	10000	105000	46351200	

(चार करोड़ तिरसठ लाख एकावन हजार दो सौ)रु० मात्र

77(7) ०
०2-01-19


सरकार के विशेष सचिव
द्वारा

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	207780000	183100000	24540000	207640000	140000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	31167000	22692000	7905800	30597800	569200
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	33244000	20861000	11856000	32717000	527000
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	853000	700000	135000	835000	18000
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	8532000	7324000	1137400	8461400	70600
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	3882000	3388600	487000	3875600	6400
	योग 20-2210.06.101.0002.01 वेतन	285458000	238065600	46061200	284126800	1331200
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	300000	77511	15000	92511	207489
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	200000	128000	40000	168000	32000
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	300000	171000	120000	291000	90000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	90000	45000	0	45000	45000
11	दूरभाष (0002-13-03)	50000	25000	0	25000	25000
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	30000	15000	0	15000	15000
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	100000	48000	0	48000	52000
14	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	66000	54000	10000	64000	2000
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	550000	264000	0	264000	286000
16	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	1500000	10000	0	10000	1490000
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	400000	235000	105000	340000	60000
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
19	मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)	200000	102000	0	102000	98000
	कुल योग:-	289245000	239240111	46351200	285591311	3653689

77(7)A

02-01-19

सरकार के विशेष सचिव

की